(च) वर्ष 1997-98 के दौरान "कृषि में प्लास्टिक का उपयोग" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 100.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के लिए गुजरात का परिव्यय 226.63 लाख रुपये है।

विवरण

गुजरात सरकार को कृषि में प्लास्टिक का उपयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आबंटित निधियों के ब्यौरे

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	वर्ष	गुजरात सरकार को आबंटित कुल निधियां	गुजरात सरकार द्वारा आवंटन	
			कच्छ को	बनासकांठा को
1.	1994-95	208.75	12.60	5.40
2.	1995-96	262.00	19.09	9.89
3.	1996-97	196.45	14.74	12.92

कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाना

4021. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आजकल कीटनाशकों का इतना अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनके कुछ अंश प्रत्येक खाद्यान्न, फलों और सब्जियों आदि में आ जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने और खाद्य-पदार्थों में इनकी मात्रा को हानिरहित स्तर तक लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कीट नियंत्रण के लिए निर्धारित कृषि पद्धतियों के अनुसार प्रयोग किये गये कीटनाशियों के अवशेष खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों पर अधिक मात्रा में नहीं रहते हैं। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशियों के प्रयोग का अनुमोदन करते समय खुराक और अंतराल अवधि का निर्धारण करती है। इस निर्धारित अंतराल अवधि से यह सुनिश्चित होता है कि कीटनाशियों के अवशेष खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत निर्धारित साह्य सीमा से अधिक न हों।

(ग) कीटनाशियों के अधिक मात्रा में प्रयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(1) समेकित कीट प्रबन्ध (आई.पी.एम.) नीति अपनाना।

(2) जैव-कीटनाशियों और पादप उत्पादों का संवर्धन और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत उदार मानदण्ड के रूप में इनका पंजीकरण करना।

(3) हानिकारक कीटनाशियों के प्रयोग को समाप्त करना/रोकना/प्रतिबंधित करना।

(4) "कृषक क्षेत्र स्कूल" स्थापित करके और कृषकों, कृषि विस्तार अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों को आई.पी.एम. प्रशिक्षण देने के लिए "पूरे मौसम का प्रशिक्षण" कार्यक्रम चला कर आई.पी.एम. में मानव संसाधन विकास करना।

(5) चावल, कपास, सब्जियों, सरसों, मूंगफली, अरहर और चने की आई.पी.एम. पद्धतियों सम्बन्धी सामग्री का प्रकाशन और उनका व्यापक वितरण।

(6) राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं के माध्यम से जैव-नियंत्रण कारकों का व्यापक स्तर पर उत्पादन और इनके प्रयोग का प्रदर्शन करना। इसके अतिरिक्त, किसानों को इनके उत्पादन की तकनीकों के बारे में भी शिक्षित किया जा रहा है।

देश में प्रतिबंधित नाशी जीव नाशकों का इस्तेमाल किया जाना

4022. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में अब भी ऐसे कई नाशी जीव नाशकों का प्रयोग किया जा रहा है जो दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत में भी इन नाशी जीव नाशकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) ऐसी कीटनाशी दवाओं की सूची, जो कुछ देशों में प्रतिबंधित हैं और भारत में उनका प्रयोग किया जा रहा है, विवरण-I में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर ऐसी कीटनाशी दवाओं के उपयोग की समीक्षा कर रही है जो मनुष्यों और पशुओं के जीवन तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई इन समीक्षाओं की सिफारिशों के आधार पर, विदेशों में निषिद्ध/सख्ती से प्रतिबंधित किए गए 20 कीटनाशियों पर रोक लगा दी गई है तथा अब तक 18 कीनाशियों का पंजीकरण अस्वीकृत कर दिया गया है। इन कीटनाशियों की सूची विवरण-II में दी गई है। (नीचे देखिए)

विवरण-I में दी गई सूची की श्रेणी की कीटनाशी दवाओं के निरन्तर प्रयोग की समीक्षा करने के लिए हाल ही में एक दल गठित किया गया है।

विवरण-I

कुछ देशों में प्रतिबंधित कीटनाशियों की सूची तथा भारत में इनके प्रयोग की स्थिति

क्र॰ सं॰	विदेशों में प्रतिबंधित कीटनाशियों का नाम	भारत में स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	एलक्लोर	अनुमत	-
2.	एल्डीकार्ब	अनुमत	-
3.	एल्यूमिनियम फॉसफाईड	प्रयोग प्रतिबंधित	एल्यूमिनियम फॉसफाइड की प्रत्येक 3 ग्रा॰ की गोली "बिक्री के लिए खुली" है, बशर्ते कि यह केज पैकेजिंग में तथा एल्यूमिनियम फॉसफाइड पाऊडर, चूहे के बिलों में इसके प्रयोग के लिए, पाऊच पैकिंग में पैक किए गए हों। 10.20 अथवा 30 गोली (3 ग्रा॰ की प्रत्येक) अथवा 50 गोलियां/एल्यूमिनियम की ट्यूब में पैक की गई प्रत्येक 0.6 ग्राम की गुटिकाएं केवल सरकार, सरकारी प्रतिष्ठानों/संगठनों को ही बेची जानी अपेक्षित है तथा इनका प्रयोग पौध संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सुविज्ञता प्राप्त सरकारी विशेषज्ञ अथवा कीट नियंत्रण आपरेटरों की कड़ी निगरानी में किया जाना अपेक्षित है।
4.	बिनोमाइल	अनुमत	-
5.	केप्टाफोल	प्रयोग प्रतिबंधित	केवल बीम ड्रेसर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। फोलियर स्प्रे के रूप में इसका प्रयोग वर्जित है।
6.	केप्टान	अनुमत	-
7.	कार्बारिल	प्रयोग प्रतिबंधित	पुष्पण अवस्था में फसलों पर इसका छिड़काव नहीं किया जाना चाहिए। आयात अथवा स्वदेशी निर्माण के जारिये बीटा कार्बारिल की अशुद्धता सीमा 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8.	कार्बोफ्यूरान	अनुमत	-

1	2	3	4
9.	कार्बोसिल्फान	अनुमत	–
10.	क्लोरबेनजीलेट	प्रयोग प्रतिबंधित	कृषि में प्रयोग प्रतिबंधित है। यदि आवश्यक हो तो सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठनों द्वारा इसका आयात किया जा सकता है और मधुमक्खियों के माइट्स के नियंत्रण हेतु मधु-मक्खी पालकों के लिए इसे उपलब्ध कराने के लिए फोलबेक्स पट्टियां तैयार की जा सकती हैं।
11.	डाइकोफोल	अनुमत	–
12.	डाइमिथोएट	अनुमत	–
13.	डियूरोन	अनुमत	–
14.	डी०डी०टी०	प्रयोग प्रतिबंधित	कृषि में डी०डी०टी० का प्रयोग वर्जित है। पौध संरक्षण के लिए डी०डी०टी० के प्रयोग का औचित्य प्रमाणित करने वाले अधिक विशेष हालातों में राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार मै० हिन्दुस्तान कीटनाशी लिमिटेड से सीधे ही इसकी खरीद कर सकती हैं जिसका प्रयोग सुविज्ञ सरकारी निगरानी के तहत ही किया जाना अपेक्षित है। किसी प्रकोप के मामले को छोड़कर जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए डी०डी०टी० का प्रयोग 10,000 मीटरी टन प्रति वर्ष तक सीमित है।
15.	डाइएल्ड्रिन	प्रयोग प्रतिबंधित	पौध संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार द्वारा रेगिस्तनी क्षेत्रों में डाइएल्ड्रिन का प्रयोग टिड्डी नियंत्रण के लिए सीमित होगा।
16.	एंडोसल्फान	अनुमत	–
17.	इथिलीन डाइब्रोमाइड (इ०डी०बी०)	प्रयोग प्रतिबंधित	इ०डी०बी० का प्रयोग, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी संगठनों यथा भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगम तथा पौध संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सुविज्ञता प्राप्त कीट नियंत्रण आपरेटरों के जरिये खाद्यान्नों के लिए एक धूमक के रूप में ही किया जाना सीमित होगा।
18.	फेनारियोल	अनुमत	–
19.	लिंडानों	प्रयोग प्रतिबंधित	भीतरी प्रयोग के लिए धुंआ उत्पन्न करने वाले लिन्डेन का प्रयोग भारत में निषिद्ध है बशर्ते कि खेती वाली फसलों के कृमियों/कीटों के नियंत्रण के लिए देश में लिन्डेन का उत्पादन जारी रखा जाए तथा पंजीकरण के प्रमाण-पत्र में इस आशय के संशोधन किए जाएं।
20.	मेलाथिओन	अनुमत	–
21.	मेलेइक हाइड्राजाइड	अनुमत	–
22.	मेथोक्सी इथाइल मरकरी क्लाराइड	अनुमत	–
23.	मिथोमाइल	अनुमत	–
24.	मानोक्रोटोफास	अनुमत	–

1	2	3	4
25.	मिथाइल पैराथिओन प्रयोग प्रतिबंधित		केवल उन फसलों पर मिथइल पैराथिओन के प्रयोग की अनुमति दी गई है जहां मधुमक्खियां परागणकर्त्ता के रूप में कार्य नहीं करती है तथा अन्य फसलों में प्रयोग हेतु देश में मिथाइल पैराथिओन का उत्पादन जारी रखा जा सकता है और बशर्ते कि पंजीकरण के प्रमाण-पत्र में इस आशय के संशोधन किए जाएं।
26.	आक्सीफ्ल्यूअरफेन	अनुमत	-
27.	पेराक्युएट डाइक्लोराइड	अनुमत	-
28.	फोरेट	अनुमत	-
29.	फासफामिडेन	अनुमत	-
30.	प्रेटीलाक्लोर	अनुमत	-
31.	सोडियम साइनाइड	प्रयोग प्रतिबंधित	सोडियम साइनाइड का प्रयोग, पौध संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार द्वारा सुविज्ञ निगरानी के तहत कपास की गांठों के धुम्रीकरण तक सीमित होगा।
32.	ट्राइआजोफास	अनुमत	-
33.	ट्राइडिमोर्फ	अनुमत	-
34.	थिओमिटोन	अनुमत	-
35.	थिराम	अनुमत	-
36.	ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड	अनुमत	-
37.	जिंक फसफाइड	अनुमत	-
38.	जिराम	अनुमत	-

विवरण-II

कुछ देशों में प्रतिबंधित तथा भारत में इनका पंजीकरण प्रतिबंधित/अस्वीकृत किए जाने वाले कीटनाशियों की सूची

(क) प्रतिबंधित कीटनाशी दवाएं

क्र॰सं॰	कीटनाशी दवा का नाम
1.	एल्ड्रिन
2.	बी॰एच॰सी॰
3.	कैल्शियम साइनाइड
4.	क्लोरडेन
5.	कॉपर ऐसीटोआरसेनाइट
6.	डाइब्रोमोकलोरोप्रोपेन (डी॰बी॰सी॰पी॰)
7.	एन्ड्रिन
8.	इथाइल मरकरी क्लोराइड
9.	इथाइल पैराथियोन
10.	हैप्टाक्लोर
11.	मेनाजोन
12.	निकोटाईन सल्फेट*
13.	नाइट्रोफेन
14.	पैराक्वेट डाइमिथाइल सल्फेट
15.	पैन्टाक्लोरो नाइट्रोबैन्जीन(पी॰सी॰एन॰बी॰)
16.	पैन्टाक्लोरोफिनोल (पी॰सी॰पी॰)
17.	फिनाइल मरकरी एसीटेट (पी॰एम॰ए॰)*
18.	मोनोसोडियम मीथेन आरसोनेट (एम॰एस॰एस॰ए॰)
19.	टेट्राडाइफोन
20.	टोक्साफीन

भारत में इन कीटनाशियों का निर्माण केवल निर्यात के उद्देश्य से किया जाता है।

(ख) ऐसी कीटनाशी दवाएं जिनका पंजीकरण अस्वीकृत किया गया है:–

1. अमोनियम सल्फामेट
2. एजीनोफोस इथाइल
3. एजीनोफोस इथाइल
4. बाइनापैकिल
5. कैल्शियम आर्सीनेट
6. कार्बोफेनथिओन
7. चाइनामिथिओनेट (मोरस्टान)
8. डाइक्रोटोफोस
9. ई॰पी॰एन॰
10. फैन्टिन एसीटेट
11. फैन्टिन हाइड्रोआक्साइड
12. लैड आर्सीनेट
13. लैप्टोफोस (फोसवेल)
14. मैफोसफोलान
15. मैविनफास (फोसड्रिन)
16. 2,4,5-टी
17. थायोडिपेटोन/डाइसल्फोटोन
18. वेमिडोथिओन

Findings of Central Team Regarding Gujarat-Cyclone

4023. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether an 8-member Central team was sent to Kandla to assess the damage caused by the recent cyclone to the port and the workers at the port and the nearby areas hit by the storm;

(b) if so, the details of the findings and suggestions made by the central team, indicating specifically the number of the persons killed and those missing in the storm hit area and devastation caused; and

(c) the steps taken in the light of the Teams report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) No Central Team was sent to assess the damage cuased by the recent cyclone to kandla Port and the workers at the Port. However, an 8-member High Level Fact Finding Team has been consitituted to find out as to how in the light of the sequence of events such a high loss of life has taken place, in Gujarat, particularly in Kandla area and to draw lessons for better preparedness, coordination, etc. for coping with such natural disasters in future. The Team has already visisted the affected areas in Gujarat. The report of the Team is awaited.

उत्तर प्रदेश में जलजीवशाला (अक्वेरियम) का निर्माण

4024. श्री मनोहरकांत ध्यानी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 1996 में केन्द्र सरकार की 1.5 करोड़ की लागत से एक बड़े आकार की आधुनिक जलजीवशाला (अक्वेरियम) के निर्माण की एक योजना भेजी गई थी;

(ख) यदि हां, तो योजना को कब जक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से नवम्बर, 1997 में 2.07 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ में प्रशिक्षण और जागरुकता केन्द्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें संग्रहालय, लैक्चर हाल, सभागार और मछलीघर शमिल होंगे। इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और राज्य सरकार को मार्च, 1998 में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 50,000/- रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली संभाव्यता रिपोर्ट के आधार पर परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Commission on cyclone in Gujarat

4025. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: